रा0 आ0पत्र नं. 15/2023
सुरेशकुमार V/s राज0 सरकार जरिये तह0 शिवगंज
अ. धारा 251 (क) R.T.A.

3/12/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के बिन्दु सं0 1 के अनुसार प्रार्थी द्वारा मौजा कुकडीखेडा के खसरा नं0 19/13 रकबा 1.6187 हैक्टयर किस्म बंजर प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आई हुई बताया गया है जो कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज है। प्रार्थनापत्र के बिन्दु सं0 2 के अनुसार प्रार्थी को कृषि आराजी का खातेदार कृषक बताया है साथ ही उक्त कृषि आराजी में खनन ग्रेनाईट हेतु आवेदन करने पर खनिज विभाग राज0 सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने पर, स्वीकृति से संबंधित कार्यवाही खनिज विभाग द्वारा अंतिम प्रकिया में बताया गया है। प्रार्थी के खातेदारी वाली उपरोक्त खनिज योग्य कृषि आराजी से लगती हुई अप्रार्थी की बिलानाम सरकारी भूमि जिसके खसरा नं. 19/125 आई हुई है जिसमें से प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु भूमि 30 फूट चौडा रास्ता चाहा गया है। साथ ही प्रार्थनापत्र के पेज सं0 02 पर प्रार्थी ने स्वयं बताया है कि वर्तमान में उक्त कृषि भूमि में खनन विभाग द्वारा ग्रेनाईट खनन स्वीकृति देने से भारी वाहनों के आवागमन हेतु मौजूद 8 फिट चौडे कदमी रास्ते के स्थान पर 30 फूट चौडा रास्ता चाहा गया है। फहरिश्त के साथ भी प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र तहसीलदार शिवगंज को दिनांक 19.10.2024 को पेश किया है जिसमें प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित है कि मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि जो खनन हेतु उपयोग में ली जा रही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी की अपनी खातेदारी भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है व प्रार्थी द्वारा खनन कार्य हेतु वाहनों के आवगमन हेतु 30 फीट चौडे रास्ते की मांग की गई है **जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' के तहत सिर्फ कृषि भूमि हेतु खातेदार को पंहुच मार्ग दिया जाने का प्रावधान है।** प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर राज0 काश्तकारी अधि0 की धारा 177 की अवहेलना की जा रही है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार शिवगंज को जांच कर नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 177 के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर.टी.एक्ट के तहत पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.09 17:22:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2024/ दिनांक 03.12.2024

प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)